कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, बेरीनाग (पिथौरागढ़)

फोन नं0 – 05964–244117 फैक्स नं0 –05964–244622 ई–मेल–eepwdberinag@rediffmail.com

पत्रांक 443 / 27 सी दिनांक 20/03/25

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़।

विषय : जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट के अन्तर्गत अग्रोन बैण्ड से ऑवलाघाट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.057 है0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्रॉक 8वी / यू0सी0पी0 / 06 / 40 / 2019 / एफ.सी. / 1277 एवं आपका पत्रॉक 2396 / 12–1 दि0 18–11–2024 (प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके कार्यालय के पत्रॉक 88 / 12–1 दि0 04–07–2020 (प्रति संलग्न) द्वारा नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित है एवं पुनः इस कार्यालय के पत्रॉक 1631 /27 सी दि0 20–09–2023 द्वारा आपके कार्यालय को आख्या प्रेषित की जा चुकी है (प्रति संलग्न) आपके कार्यालय से प्राप्त डिमाण्ड नोट सं0 2396 / 12–1 दि0 18–11–2024 के अनुपालन में संशोधित एन0पी0वी0 की धनराशि दिनॉक 12–03–2025 को ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से चालान जनरेट कर वन विभाग के पक्ष में धनराशि रू0 2805528.00 जमा कर दी गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पुनः बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

क्र. सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित (प्रश्न)	अनुपालन आख्या (उत्तर)
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 16.114 है0 बोयल सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश सं0 1883 / सात –22 / 2020 –21 दि0 24–06–2021 द्वारा 16.114 है0 सिविल भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की जा चुकी है। आदेश की हार्डकापी 5–5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007 एफ.सी. दि0 05–02–2009 के तहत किये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूंल्य (एन0पी0वी0) निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शर्त सं0 –2 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की यथोचित धनराशि दि0 27–04–2020 को वन विभाग के पक्ष में में जमा की जा चुकी है।

क्र. सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित (प्रश्न)	अनुपालन आख्या (उत्तर)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशक की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन वद्धता प्रस्तुत की जाय।	शर्त सं0 --3 के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या 5--3 / 2011 एफ.सी. दि0 06--01--2022 एवं आपके कार्यालय के पत्र 2396 / 12--1 दि0 18--11--2024 द्वारा इस खण्ड में प्राप्त डिमाण्ड नोट के अनुसार एन0पी0वी0 की संशोधित धनराशि परिवेश पोर्टल पर आन लाईन चालान जनरेट कर देयक सं0 WO3801422903251028 दि0 12--03--2025 को वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गई है। देयक एवं चालान के प्रति की हार्ड कापी 5--5 प्रति में प्रेषित की जा रही है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियॉ (सी0ए0 कोस्ट, एन0पी0वी0 आदि) को वैब पोर्टल पर व्द सपदम हमदमतंजम किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित व्द सपदम बैंक में जमा किये जाय, अन्य माध्यमों से जमा की गई धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	शर्त सं0 4 के अनुपालन में एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि का डिमाण्ड नोट सत्यापन उपरान्त ऑन लाईन पोर्टल पर चालान जनरेट कर वन विभाग के पक्ष में पूर्व मे दि0 02--03--2020 को जमा किया जा चुका है तथा एन0पी0वी0 की संशोधित धनराशि दि0 12--03--2025 को वन विभाग के पक्ष मे जमा करा दी गई है।

कृपया उपरोक्त अनुपालन आख्या अपनी सहमति उपरान्त उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने की कृपा करें ताकि वनभूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

भवदीय

20/03/2025

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 बेरीनाग

O/L

IFMS Uttarakhand

Bill Type : Normal

WO3801422903251028

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Manoj Kumar Bhatt
Reason :DDO E-Approval
Location: Berinag Treasury
Date and Time: 12-03-2025 14:04:57

आकस्मिक देयक प्रपत्र
वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग -१
(देखें अध्याय - आठ , प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

1- जनपद का नाम — पिथौरागढ़

2- कोषागार का नाम — बेरीनाग

3- देयक की अवधि कब से.........कब तक ....

4- रिकार्ड कोड — 1 0 3

5- कोषागार/उपकोषागार का कोड — 3 8 0 1

6- देयक पंजी की क्रम संख्या — 000647

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण

मुख्य लेखाशीर्षक -	(5054)सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
उप मुख्य लेखा शीर्षक -	(04)जिला तथा अन्य सड़के
लघुशीर्षक -	(337)सडक निर्माण कार्य
उपशीर्षक -	(03)राज्य सेक्टर
ब्योरेवार शीर्षक -	(04)एन0पी0वी0 का भुगतान / भूमि अधिग्रहण

7- वाउचर संख्या(कोषागार द्वारा भरा जाना है) — वाउचर का दिनांक

8- मतदेय/भारित — मतदेय

9- लेखाशीर्षक सम्बन्धी 13 अंको का कोड (4 मुख्य लेखाशीर्षक + 2 उपमुख्य शीर्षक + 3 लघुशीर्षक + 2 उपशीर्षक + 2 ब्योरेवार शीर्षक — 5 0 5 4 0 4 3 3 7 0 3 0 4 5 4

10- आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम — अधिशासी अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग

11- आहरण वितरण अधिकारी का कोड — 4 2 2 9

12- अधिष्ठान का नाम — अधिशासी अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग

13- अनुदान संख्या — 0 2 2   14- सोर्स कोड 1   15- सेक्टर कोड 2

कनेक्टिंग अनुदान संख्या

16- आहरण से जुडे लेखाशीर्षक (कनेक्टिंग सर्विस हेतु) (केवल भविष्य निधि अग्रिम एवं ऋण तथा अन्य अग्रिमों से सम्बन्धित भुगतान हेतु भरा जाये)

बजट की वर्तमान स्थिति				भुगतान का विवरण	
मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट	मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	25704370	25499872	204498	54-भूमि क्रय	2805528
				66 सकल धनराशि (आश्रित समायोजन के बाद)	2805528

ONLY FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण	
77 सम्पूर्ण कटौतियां	
99 शुद्ध देय धनराशि (66-77)	2805528

क्रम संख्या	व्यय सम्बन्धी विवरण	धनराशि (रु0)	अभ्युक्ति
66- सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)		2805528	
77- सम्पूर्ण कटौतियां			
99 शुद्ध देय धनराशि (66-77)		2805528	

प्रमाणित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों तथा आदेशों की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक प्रथमवार प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी का हस्ताक्षर

नियंत्रक /प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
(केवल काउन्टरसाइन्ड कंटीजैंसी के प्रकरण में ही लागू होगा)
(पदनाम एवं कार्यालय की मुहर)

Print Date : 12-Mar-2025

कोषागार / उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

धनराशि रु0 Rupees Twenty Eight Lacs Five Thousand Five Hundred Twenty Eight Only भुगतान हेतु पारित किया जाता है।

संक्रमण द्वारा रु० -

सकल धनराशि रु० 28,05,528

कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

S.NO.	Beneficiary	Account Type	IFS Code	Account No.	Gross Amt	Total Ded.	Advance	Net Amount
1	OP3801422903251007 Mr Uttranchal Campa	Saving	UBIN0996335	150896137042925	2805528	0	0	2805528
					2805528	0	0	2805528

Print Date : 12-Mar-2025

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आंध्रा Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 12-03-2025

Agency Name.	EE TY DIV PWD BERINAG
Application No.	6137042925
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/40/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PWD BerinagPithoragarh
Amount(in Rs)	2805528/-

Amount in Words :Twenty-Eight Lakh Five Thousand Five Hundred and Twenty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896137042925 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आंध्रा Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 12-03-2025

Agency Name.	EE TY DIV PWD BERINAG
Application No.	6137042925
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/40/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PWD Berinag Pithoragarh
Amount(in Rs)	2805528/-

Amount in Words :Twenty-Eight Lakh Five Thousand Five Hundred and Twenty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896137042925 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

(signature)

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर--केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून--248001
दूरभाष: 0135--2650809
फैक्स--0135--2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

MINISTRY OF ... CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

दिनांक: 1 /09/2019

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/40/2019/एफ0सी0/ 1247

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट के अंतर्गत अग्रौन बैण्ड से आंवलाघाट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 8.057 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-- 189/x-4-19/1(20)/2018 दिनांक 11.03.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/37042/2018 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्ष अधिनियम, 1980 की धारा--2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय--समय राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज मंगवाये जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 22, अगस्त 2019 को हुई बैठक में संस्तुति होने के उपर केन्द्र सरकार **जनपद -- पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट के अंतर्गत अग्रौन बैण्ड से आंवलाघाट मो मार्ग के निर्माण हेतु 8.057 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन** ि जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:--

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 16.114 है0 बोयल सिविल सायम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षार एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (बर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधि स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5--3/2007--एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्र अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पर **Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।**

[illegible] शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, [illegible] स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की [illegible] सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-**

वन भूमि की वैधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।

एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।

प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 16.114 है0 बोयल सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति [illegible] कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस--पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एव Back bearing अंकित किया जायेगा।

प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।

परियोजना के निर्माण व रख--रखाव के दौरान आस--पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की [illegible] नहीं पहुचायी जायेगी।

वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।

कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 417 से अधिक न हो।

सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख--रेख में strip plantation की जाएगी।

परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख--रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।

[illegible]

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234
पत्रांक 2396 /12—1 दिनांक, पिथौरागढ़, 18, नवम्बर, 2024।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, बेरीनाग।

विषय:— जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड गंगोलीहाट में अग्रौन बैण्ड से आंवलाघाट मोटर मार्ग लम्बाई 17.00 किमी0 तक (FP/UK/ROAD/37042/2018) हेतु 8.057 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:— भारत सरकार पर्यावरण, वन मंत्रालय के आदेश सं0 08 बी/यू0सी0पी0/06/40/2019/एफ0सी0/1277 दिनांक 13.09.2019 व भारत सरकार की पत्र सं0 5-3/2011-FC दिनांक 06.01.2022।

उपरोक्त विषयक प्रकरण में अवगत कराना है कि भारत सरकार के सन्दर्भित पत्रों के कम में ऐसे प्रकरण जो कि दिनांक 06.01.2022 के बाद स्वीकृत हैं, अथवा ऐसे प्रकरण जिनमें कि सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत होने के बाद 05 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका हो, में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के कम में एन0पी0वी0 की संशोधित दरों के अनुसार शेष धनराशि जमा की जानी अनिवार्य है। अतः उक्त के कम में एन0पी0वी0 की नवीन दरों के अनुसार पुनः संशोधित डिमाण्ड नोट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा किये जाने योग्य कुल धनराशि	पूर्व में जमा धनराशि	जमा किये जाने योग्य शेष धनराशि
1	एन0पी0वी0	8.057 हे0	1005210/— (ईको क्लास—V) घनत्व 0.3	8098976.97/—	52,93,449.0	28,05,527.97 या 28,05,528.00

कृपया उक्त डिमान्ड नोट आन लाईन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रॉक / दिनांक, पिथौरागढ़, 04 ~~जून,~~ जुलाई 2020।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,देहरादून।

विषयः— जनपद पिथौरागढ़ में अग्रौन बैण्ड से आंवलाघाट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 8.057 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या।

संदर्भः— भारत सरकार का पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/40/2019/एफ0सी0/1277 दिनांक 13.09.2019 व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 578/27सी0 दिनांक 19.06.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालान आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है व प्रस्तावक विभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित धनराशि का भुगतान कर दिया गया है।

संलग्नः— यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

संख्याः— 88 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः— अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, बेरीनाग, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,बेरीनाग

फोन नं0-- 05964--244117 फैक्स नं0--05964--244622 ई--मेल--eepwdberinag@rediffmail.com

पत्रांक 1631 / 27सी दिनांक 20 / 09 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

विषय:-- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट के अन्तर्गत अग्रौन बैण्ड से आवलाघाट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.057 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सदर्भ :-- आपका पत्रांक 1135/12--1 दिनांक 01.09.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या उच्च स्तर से निर्धारित प्रारूप प्रश्नोत्तर रूप में समस्त संलग्नों सहित पुनः बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

क्र0 सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त (प्रश्न)	अनुपालन आख्या (उत्तर)
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 16.114 हे0 बोयल सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख--रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष हस्तान्तरण नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शर्त सं0 1-- के अनुपालन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं उनके 10 वर्षो तक रख--रखाव की धनराशि दिनांक 24.04.2020 द्वारा NEFT/ RTGS चालान के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। चालान की हार्ड कापी 5--5 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश सं0 1883/सात--22/2020--21 दिनांक 24.06.2021 ग्राम बोयल पट्टी बोयल तहसील गंगोलीहाट के कुल 07 खेतो की 16.114 हे0 सिविल भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दी गयी है। आदेश की हार्डकापी 5--5 प्रतियों प्रेषित की जा रही है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5--3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि जमा की जायेगी।	शर्त सं0 2 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि दिनांक 24.04.2020 को NEFT/ RTGS चालान के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। चालान की हार्ड कापी 5--5 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचन बद्धता प्रस्तुत की जाय।	शर्त सं0 3-- के अनुपालन में बढ़ी हुई दरों में भुगतान करने का वचन बद्धता प्रमाण पत्र की हार्ड कापी 5--5 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।

क्रमशः 2

	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें, कि जमा की गयी सभी निधियॉ (CA Cost,NPV etc) को व्यवसायिक पर On line Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑन लाइन बैंक में जमा किये जाए माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालना के रूप में मान्य नही होगी। उपरोक्त सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार स्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाय। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नही की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नही की जायेगी। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखि शर्तो के साथ प्रदान की जायेगी।	मान्य है।
1	वनभूमि की विधिवत परिस्थिति बदली नही जायेगी।	मान्य है।
2	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए वाध्य होगा। प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 16.114 हे0 बोयल सिविल एवं सोयम भूमि को 6 माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	मान्य है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नही लगाया जायेगा।	मान्य है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का 4 फिट उचे आर0सी0सी0 पीलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एव Back bearing अंकित किया जायेगा।	मान्य है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी। जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुचें।	मान्य है।
6	परियोजन के निर्माण व रख--रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वन सम्पत्तियों एवं जीव--जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुचायी जायेगी।	मान्य है।
7	वनभूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उददेश्य के अलावा अन्य किसी उददेश्य के लिए नही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में इस वनभूमि को किसी अन्य संस्था विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नही किया जायेगा।	मान्य है।
8	कम से कम वृक्षो का कटान/पातन किया जायेगा। जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 417 से अधिक ना हो। सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central verge पर प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strif Plantation की जायेगी।	मान्य है।
9	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलुवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलुवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख--रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानो के अलावा अन्यत्र मुलवा नही फेका जायेगा।	मान्य है।

यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायादेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होता है तो उनके अधीन जरूर अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एंजसी की जिम्मेदारी होगी।	मान्य ।
ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो की भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझा जायेगा। यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गयी शर्तो का संतोषजन अनुपालन नही किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	मान्य ।

कृपया विषयवर्णित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने हेतु अनुपालन आख्या शीघ्र उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।
संलग्न— उपरोक्तानुसार

भवदीय
20.9.23
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 बेरीनाग।
29/9/23

बाह्य सं0-1452
आवक सं0 27 दो
दिनांक 8-7-21

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/40/2019/एफ.सी./1277 दिनांक 13.09.2019 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत अग्रौन बैण्ड से आंवलाघाट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.057 है0 वन भूमि के बदले 16.114 है0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत अग्रौन बैण्ड से आंवलाघाट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.057 है0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम बोयल पट्टी बोयल तहसील गंगोलीहाट के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–24 श्रेणी–9(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 1144 रकवा 3.019, 1145 रकवा 1.492 है0, 1149 रकवा 1.510 है0, 1196 रकवा 1.497, 1215 रकवा 3.518 है0, 1218 रकवा 0.988 है0 तथा खेत नम्बर 1268 मध्ये रकवा 4.090 है0 कुल 07 खेतों की 16.114 है0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, गंगोलीहाट स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक जून 23, 2021

(आनन्द स्वरूप)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या–1883/सात–22/2020–21 दिनांक जून 24, 2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी गंगोलीहाट।
4. तहसीलदार गंगोलीहाट को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 बेरीनाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(आनन्द स्वरूप)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

Copy to AG II / SS Tiwari Amin

Seen